तारीख हुक्म | हुक्म या आदेश | न जारी हुए

17/9/18 अपर संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-10-18 को पेश हो।

15-10-18 वकील पक्षकारान हाजिर आदेश हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते आदेश/तामील दिनांक 18-12-18 को पेश हो।

18/12/18 वकील पक्षकारान हाजिर ..... हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते तनकीहात दिनांक 4-2-19 को पेश हो।

4-2-19 वकील प्रार्थी उप.1 एवं अधिकार वकील उप.1 अभ्यर्थी को सुनागया। वकील प्रार्थी की ओर से राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट संगठना में पारित आदेश क्रमांक दिनांक 29.6.17 मय जांच रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक 371 दि. 29-6-17 की प्रमाणित प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट संगठना में पारित आदेश दि. 29-6-17 में प्रार्थी नाथूराम पुत्र संगठक कौम महाजन सा. हेड खातिर 506 है. भूमि सहखातेदारान के साथ दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए थे। जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से प्रार्थी/वालिदान का हिस्सा दर्ज होने से यह गलत लिहाजा प्रार्थी का प्रथम भाग खारिज किया जाता है एवं जमाबन्दी पृष्ठ 84 RBB के कॉ.नं. 2 पा.नं. 231/265 भूमि में सहखातेदारान के साथ प्रार्थी के नाम के आगे .506 है. हिस्सा दर्ज कर इन्द्राज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार प्रार्थी/वालिदान का जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली दफ्तर हो।